की कब्जा काश्त की जमीन पर जबरदस्ती दखलअंदाजी करना विधि विरूद्ध है। चुंकि एक पक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है तो दूसरे पक्ष को अपूरणीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। इस प्रकार यदि प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः यह बिंदू भी उभयपक्षकारान के पक्ष में ही निहित होना साबित होता है।

अतः मूल वाद के अनुतोष के संबंध में गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी में उभयपक्षकारान मौके व राजस्व रेकर्ड के यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाना उचित समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र सायलान अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। **उभयपक्षकारान्** को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा आगेवा पटवार हल्का आगेवा में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 424 रकबा 1.8535 हेक्टेयर में **उभयपक्षकारान मौके व राजस्व रेकर्ड** की यथास्थिति बनाये रखें व कोई परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर जमा हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण, जिला ब्यावर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनांक 24.03.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)